

// 1 //

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-43/13

Filling-no- 235103000652013

न्यायालय-साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी,
जिला अशोकनगर म0प्र0

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-43/13

संस्थित दिनांक- 14.02.2013

Filling-no- 235103000652013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।अभियोजन
विरुद्ध
1- प्रतापसिंह पुत्र नन्दराम लोधी उम्र 45 साल निवासी- गउशाला अशोकनगर वार्ड नं. 21 अशोकनगरआरोपी

:: निर्णय ::

(आज दिनांक- 21.04.2017 को घोषित किया गया)

01. अभियुक्त प्रताप सिंह के विरुद्ध धारा 279, 337, 429 भा0द0वि0 एवं 3/181, 39/192, 146/196 मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत इस आशय का अभियोग है कि दिनांक 03.01.2013 को 13:00 बजे करीब नयाखेडा तालाब के पास रोड पर मोटरसाईकिल क्रमांक डिलक्स बिना नम्बर की गाडी को तेजी व लापरवाही से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त मोटरसाईकिल को स्वेच्छया व उतावलेपन से चलाते हुये उस पर बैठे मुकेश लोधी को गिराकर चोट पहुँचाई एवं उक्त मोटरसाईकिल से बछिया में टक्कर मारकर उसका बध कर रिष्टि कारित की एवं उक्त मोटरसाईकिल को बिना ड्राइविंग लाइसेंस के सार्वजनिक मार्ग पर चलाकर धारा 3 मोटरयान अधिनियम के उपबंधो का उल्लंघन किया तथा उक्त मोटरसाईकिल को बिना रजिस्ट्रेशन के चलाकर 39 मोटरयान अधिनियम के उपबंधो का उल्लंघन किया है तथा उक्त मोटरसाईकिल को बिना बीमा के चालन कर धारा 146 मोटरयान अधिनियम के उपबंधो का उल्लंघन किया।

02. प्रकरण में अवलोकनीय है कि दिनांक 11.01.2017 को फरियादी/आहत व आरोपी के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण आरोपी प्रताप सिंह को धारा 337, 429 भा0द0वि. के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

03. अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि दिनांक 03.01.2013 को

सीएचसी चंदेरी से प्राप्त तहरीर की जांच एएसआई बी.एन.मिश्रा द्वारा की गई जिसमें घायल अवस्था में प्रताप लोधी तथा मुकेश लोधी, निवासीगण गउशाला छैलाबाग चंदेरी का एम.एल.सी. कराई गई। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। कथनों में लाल रंग की मोटरसाईकिल प्रताप लोधी चला रहा था तथा घटना स्थल नयाखेडा रोड पर होना बताया गया। साक्षीगण के कथनों में मोटरसाईकिल द्वारा तेजी व लापरवाही से मोटरसाईकिल चलाकर लाना बताया और एक बछिया में टक्कर मारने से उसकी मृत्यु होना व्यक्त किया। उक्त जांच पर से आरोपी के विरुद्ध धारा 279, 337 के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई तथा आरोपी का रजिस्ट्रेशन, बीमा व ड्राइविंग लाइसेंस न होने से मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3/181, 39/192, 146/196 इजाफा किया गया। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लिये गये, घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, मोटरसाईकिल को जप्त किया गया एवं विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

04— अभियुक्त को आरोपित धाराओं के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर स्वयं को निर्दोश होना तथा रंजिशन झूठा फसाया जाना एवं बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05. राजीनामा उपरांत न्यायालय के समक्ष निम्न प्रश्न विचारणीय हैं :—

1.	क्या अभियुक्त प्रताप सिंह के द्वारा दिनांक 03.01.2013 को 13:00 बजे करीब नया खेडा तालाब के पास रोड पर मोटरसाईकिल क्रमांक डिलक्स बिना नम्बर की गाडी को तेजी व लापरवाही से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
2.	क्या घटना दिनांक समय स्थान पर उक्त मोटरसाईकिल को बिना ड्राइविंग लाइसेंस के सार्वजनिक मार्ग पर चलाया ?
3.	क्या घटना दिनांक समय स्थान पर उक्त मोटरसाईकिल को बिना रजिस्ट्रेशन के चलाकर ?
4.	क्या घटना दिनांक समय स्थान पर उक्त मोटरसाईकिल को बिना बीमा के चलाया ?

// विचारणीय प्रश्न क्र. 1, 2, 3 व 4 //

06. विचारणीय प्रश्न क्र. 1, 2, 3 व 4 एक-दूसरे से संबंधित होने से व साक्ष्य

की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये उनका एक साथ विश्लेषण किया जा रहा है। अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। स्वरूप सिंह अ0सा01 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपी प्रताप लोधी को जानता है। घटना करीब 3 साल पहले की है। कोई अज्ञात मोटरसाईकिल चालक ने उसकी बछिया में टक्कर मार दी थी जिससे बछिया की मृत्यु हो गई थी। उक्त घटना के संबंध में पुलिस घटना स्थल पर आई और नक्शामौका प्र.पी.1 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

07. स्वरूप सिंह अ0सा01 ने उसके मुख्य परीक्षण में बताया कि घटना किसके द्वारा कारित की गई इसकी जानकारी उसे नहीं है और न ही उसे किसी ने घटना कारित करने वाले वाहन चालक एवं वाहन के बारे में बताया था। पुलिस ने पूछताछ की उसके बयान लिये थे तथा बछिया की मृत्यु के संबंध में नुकसानी पंचनामा प्र.पी. 3 तैयार किया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने अभियोजन के इस सुझाब से इंकार किया कि उसे बृजभान की पत्नी उर्मिला देवी ने बताया था कि उसकी बछिया को प्रताप लोधी निवासी गोशाला ने उसकी हीरो होन्डा मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर टक्कर मार दी थी जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी तथा अभियोजन के इस सुझाब से इंकार किया कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि उक्त घटना में वाहन चालक प्रताप एवं उसके साथ बैठे मुकेश को भी चोटे आई थी। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्र.पी. 4 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाया व समझाया जाने पर साक्षी ने कथन पुलिस को न देना व्यक्त किया पुलिस ने कैसे लेख कर लिया उसका कारण नहीं बता सकता।

08. रानी लोधी अ0सा02 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपी को जानती हैं। घटना 3 साल पहले की है। वह उसके ताउ के साथ हीरावल गाँव जा रही थी, क्या घटना हुई उसे नहीं मालूम। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि उसके ताउ प्रताप ने उसकी मोटरसाईकिल तेजी व लापरवाही से चलाकर बछिया को टक्कर मारी थी। इस बात से भी इंकार किया कि उसके पिता को मोटरसाईकिल से गिरने से चोट आई थी। उक्त साक्षी का कहना है कि उसे नहीं मालूम की मोटरसाईकिल कैसे गिर गई थी। अभियोजन के इस सुझाब से इंकार किया कि साक्षी के ताउ प्रताप ने मोटरसाईकिल तेजी व लापरवाही से चलाया इस कारण मोटरसाईकिल गिर गई। स्वतः कहा कि मोटरसाईकिल सही चल रही थी।

09. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी उर्मिला लोधी अ0सा03 ने अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है। इसलिये उक्त साक्षी

की साक्ष्य से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी स्वरूप सिंह अ0सा01, रानी लोधी अ0सा02, उर्मिला लोधी अ0सा03 ने इस बात से स्पष्टतः इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी प्रताप लोधी उसकी मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया था, अतः मोटरसाईकिल तेजी व लापरवाही से आरोपी द्वारा चलाना प्रमाणित न होने से आरोपी को भा0द0वि0 की धारा 279 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है, किन्तु साक्षी रानी लोधी ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह अपने ताउ आरोपी प्रताप के साथ हीरावल गाँव जा रही थी और मोटरसाईकिल पर पीछे बैठी थी, क्या घटना हुई उसे नहीं मालूम, किन्तु अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात को स्वीकार किया कि उसके पिता को मोटरसाईकिल से गिरने से चोट आई थी तथा इस बात से इंकार किया कि उसे नहीं मालूम मोटरसाईकिल कैसे गिर गई थी। अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया कि मोटरसाईकिल को उसके ताउ प्रताप ने तेजी व लापरवाही से चलाया था जिससे वह गिर गई थी। स्वतः कहा मोटरसाईकिल सही चल रही थी। इस प्रकार उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि घटना के समय दुर्घटना कारित करने वाली मोटरसाईकिल जोकि बिना नम्बर की थी को आरोपी प्रताप चला रहा था।

10. अभियुक्त प्रताप द्वारा जप्तशुदा वाहन का रजिस्ट्रेशन, बीमा एवं स्वयं का ड्राइविंग लायसेंस की छायाप्रति प्रस्तुत की है जिससे जप्तशुदा वाहन घटना दिनांक को रजिस्टर्ड, बीमित होना एवं आरोपी के पास वाहन चलाने का लाइसेंस होना प्रमाणित है। आरोपी प्रताप को धारा 279 भा0द0वि0 एवं 3/181, 39/192, 146/196 मोटरयान अधिनियम का अपराध प्रमाणित न होने से दोषमुक्त किया जाता है,

11. प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाईकिल लाल रंग की पूर्व से सुपुर्दी पर है अतः सुपुर्दीनामा सुपुर्दीदार के पक्ष में अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त समझा जावे। अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

12— अभियुक्त द्वारा अन्वेषण, जांच, विचारण के दौरान निरोध में विताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र तैयार कर प्रकरण में संलग्न किया जावे

13. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया दिनांकित कर घोषित किया गया।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

//5//

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-43/13
Filling-no- 235103000652013

// 6 //

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-43/13
Filling-no- 235103000652013